कानूनी सहायता विभाग के द्वारा
जातीय समानता के प्रोत्साहन के लिए
मौजूदा और योजनाबद्द तरीके

हाँग काँग में, हर एक व्यक्ति उस की जाति या रहने की जगह का विचार किए बिना कानूनी सहायता का हकदार है, बशर्ते कि वह साधन और गुणों की परीक्षाओं को संतुष्ट करता हो / करती हो ।

कानूनी सहायता विभाग (LAD) ने आवेदकों / सहायता प्राप्त व्यक्तियों को जो कि अलग अलग जातियों से हैं, उन को कानूनी सेवाएं देते हुए उनकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएँ हैं / अपनाने की योजना की है :

A. कानूनी सहायता सेवाओं पर पुस्तिका

मौजूदा तरीके

- कानूनी सहायता विभाग ने कानूनी सहायता पर बांग्ला, हिन्दी, इंडोनेशियन, नेपाली, तगालोग, पंजाबी, तमिल, थाई, उर्दू और वियतनामी सहित 10 भाषाओं में पुस्तिकाओं का एक सिलसिला प्रकाशित किया है ।

- अन्य पुस्तिकाओं के साथ यह पुस्तिकायें कानूनी सहायता विभाग के दफ़्तरों में उपलब्ध हैं या उन्हें कानूनी सहायता विभाग की वेबसाईट से डाऊनलोड किया जा सकता है ।

- ये (पुस्तिकायें) संबंधित कोंसलावास के दफ़्तरों, बिना प्रतिनिधित्व वाले मुकद्दमेबाज़ों के लिए न्यायपालिका के स्त्रोत केंद्र, दीवानी प्रक्रियाओं पर बिना प्रतिनिधित्व वाले मुकद्दमेबाज़ों के लिए कानूनी सलाह की स्कीम के दफ़्तर (प्रक्रिया सलाह स्कीम), पुलिस थानों, गृह मामलों के विभाग के सार्वजनिक पूछताछ सेवा केंद्रों, लेबर विभाग, सुधारक सेवाएं विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग और सरकारी अस्पतालों के स्थानों पर भी उपलब्ध हैं ।

- संभावित आवेदकों जो कि अलग अलग जातियों से हैं, के लिए कानूनी सहायता सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ग्राहक सेवा की कोशिश के तौर पर, उन संभावित आवेदकों जो अंग्रेजी या चीनी भाषा नहीं बोलते हैं, को उन के आवेदन की प्रक्रिया में उन की मदद करने

के लिए फ़्री अनुवाद सेवा की उपलब्धता के बारे में जानकार करने के लिए ऊपर बताई गईं 10 भाषाओं में एक विज्ञापन डिज़ाईन किया गया है और प्रदर्शन के लिए लगा दिया गया है ।

- अलग अलग जातियों के लोग जानकारी के लिए यह विज्ञापन देख सकते हैं या कानूनी सहायता विभाग की वेबसाईट से सेवाओं के बारे में पुस्तिकायें डाऊनलोड कर सकते हैं ।

भविष्य के काम का मूल्यांकन

- कानूनी सहायता सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए सार्वजनिकता के प्रोग्रामों की प्रभावशीलता पर मिली प्रतिक्रिया की सुधार के लिए लगातार समीक्षा की जाएगी ।
- कानूनी सहायता विभाग की सेवाओं पर अलग अलग जातियों के लोगों से अन्य प्रतिक्रिया या सुझावों को सेवाओं के निरंतर सुधार के लिए प्राप्त किया जाएगा और विचार किया जाएगा ।

B. कानूनी सेवा के आवेदन के लिए अनुवाद सेवा

मौजूदा तरीके

- कानूनी सहायता उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस की जाति या रिहाईश को बिना देखे उपलब्ध है जो साधन और गुणों की परीक्षाओं को पास कर लेता है ।
- जो आवेदक अंग्रेज़ी या चीनी भाषा नहीं बोलते हैं, आवेदन की प्रक्रिया में उन की मदद करने के लिए कानूनी सहायता विभाग फ़्री अनुवाद सेवा का प्रबंध करेगा ।
- जो आवेदक साधन और / या गुणों की परीक्षाओं में फ़ेल जो जाते हैं उन के पास है कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने अपील करने का हक़ होता है । कानूनी सहायता विभाग आवेदकों / अपीलकर्ताओं की अपील का नोटिस दायर करने, अपील की तारीख पक्की करने और जो आवेदक / अपीलकर्ता अंग्रेज़ी या चीनी भाषा नहीं बोलते हैं, उन के लिए अपील की सुनवाई पर एक अनुवादक की फ़्री

		सेवा के लिए न्यायपालिका को सूचित करने में सहायता करेगा ।
	•	उन आवेदकों जो अंग्रेजी या चीनी भाषा नहीं बोलते हैं, को उन के आवेदन की प्रक्रिया में उन की मदद करने के लिए फ़्री अनुवाद सेवा की उपलब्धता के बारे में उन्हें सतर्क करने के लिए ऊपर बताई गईं 10 भाषाओं में एक विज्ञापन डिज़ाईन किया गया है और प्रदर्शन के लिए लगा दिया गया है ।
भविष्य के काम का मूल्यांकन	•	कानूनी सहायता के आवेदकों से मिली प्रतिक्रिया या सुझावों को सेवाओं के निरंतर सुधार के लिए प्राप्त किया जाएगा और विचार किया जाएगा ।
	•	अलग अलग जातियों के आवेदकों से सीधी बातचीत करने के लिए सामने की कतार के स्टाफ़ के कार्यस्थल में ऊपर बताई 10 भाषाओं में से 1 भाषा के बाकी रहते हुए 9 भाषाओं के तात्कालिक अनुवाद के प्रोग्राम को लगा दिया गया है ।

C. कानूनी सहायता प्राप्त कार्यवाहीओं के लिए अनुवाद सेवा

मौजूदा तरीके	•	जब अलग अलग जातियों के व्यक्तियों को अदालत की कार्यवाही शुरू करने या बचाव करने के लिए कानूनी सहायता मंज़ूर की जाती है, कानूनी सहायता विभाग नियुक्त किए गए वकीलों के द्वारा केस को उचित तरीके से चलाने के लिए वाजिब तौर पर आए मुकद्दमे के खर्चों, अनुवाद और उल्था करने के खर्चों को पहले ही अदा कर देगा ।
भविष्य के काम का मूल्यांकन	•	कानूनी सहायता प्राप्त अलग अलग जातियों के व्यक्तियों से अन्य प्रतिक्रिया या सुझावों को सेवाओं के निरंतर सुधार के लिए प्राप्त किया जाएगा और विचार किया जाएगा ।

D. कानूनी सहायता विभाग के स्टाफ़ की ट्रेनिंग

मौजूदा तरीके	•	कानूनी सहायता विभाग के स्टाफ़ की जाति पक्षपात के

अध्यादेश (RDO) और जाति समानता के प्रोत्साहन के लिए प्रशास्निक दिशा – निर्देश (दिशा – निर्देशों) की समझ और जानकारी बढ़ाने के लिए, समान अवसर कमीशन के द्वारा जाति पक्षपात के अध्यादेश (RDO) और इन दिशा – निर्देशों के बारे में विचार – चर्चा की गई थी और केस सांझे करने का प्रबंध किया गया था । इस विचार - चर्चा में पेशेवर अफ़सर, कानूनी कलर्क और आगे की कतार के क्लर्क स्टाफ़ के सहित कानूनी सहायता विभाग का स्टाफ़ उपस्थित हुआ था ।

- स्टाफ़ के हवाले के लिए कानूनी सहायता विभाग की वेबसाईट पर सिखलाई की सामग्री उपलोड की गई थी ।

भविष्य के काम का मूल्यांकन

- कानूनी सहायता विभाग स्टाफ़ के सदस्यों, खास तौर पर आगे की कतार के स्टाफ़ के सदस्यों की जाति पक्षपात के अध्यादेश और उन दिशा – निर्देशों के बारे में उन की समझ में सहायता करने और उनकी सांस्कृतिक और भाषा संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए सिखलाई के कोर्सों का प्रबंध करेगा ।

- स्टाफ़ के लिए उचित सिखलाई के कोर्सों का प्रबंध करने के लिए कानूनी सहायता विभाग आवेदकों और सहायता प्राप्त व्यक्तियों से मिले प्रतिकर्मों और सुझावों को प्राप्त करेगा और उन का विश्लेषण करेगा ।

- कानूनी सहायता विभाग स्टाफ़ से जाति पक्षपात के अध्यादेश और उन दिशा – निर्देशों के बारे में उन की समझ बढ़ाने के लिए पेश किए जाने वाले सिखलाई के प्रोग्रामों के बारे में स्टाफ़ से प्रतिकर्म भी प्राप्त करेगा और सुझावों को आमंत्रित करेगा ।

E. सार्वजनिक पूछताछ / शिकायतें

कानूनी सहायता विभाग के पास अपनी सेवाओं के बारे में पूछताछ और शिकायतों से निपटने के लिए एक सुविवस्थित तंत्र है । कानूनी सहायता के आवेदकों, सहायता प्राप्त व्यक्तियों या नियुक्त वकीलों के सहित कोई भी व्यक्ति जो कुछ पूछना चाहता है / शिकायत करना चाहता है, वह इस विभाग के ग्राहक सेवा अफ़सरों से संपर्क कर सकता है जिनके नाम और टैलीफ़ोन नंबर इस विभाग के दफ़्तर की जगहों और इस विभाग की वैबसाईट पर दिखाए जा रहें हैं । इस

के साथ ही, पूछताछ करने वाले व्यक्ति / शिकायतकर्ता इस विभाग को या विभाग के शिकायत अफ़सर को फ़ोन / डाक / फ़ैक्स / ईमेल के द्वारा निम्नलिखित पर संपर्क कर सकते हैं :

डाक द्वारा : श्रीमती किम्बर्ले यू : के ध्यान में
विभागीय शिकायत अफ़सर
कानूनी सहायता विभाग
27वीं छत, क्वींसवे सरकारी दफ़्तर
66 क्वीनसवे,
हाँग काँग

टैलीफ़ोन के द्वारा : (852) 2867 3171

फ़ैक्स के द्वारा : (852) 2869 0525

ईमेल के द्वारा : ladinfo@lad.gov.hk

अलग अलग जातियों के लोग जो अंग्रेज़ी या चीनी नहीं बोलते हैं, वे अपनी पूछताछ या शिकायत करने के लिए फ़्री अनुवाद सेवाओं के लिए विभागीय शिकायत अफ़सर से संपर्क कर सकते हैं ।

इस विभाग ने "ग्राहक सेवा स्तरों" के नाम की एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है जिस में कि कानूनी सहायता सेवाओं के उपभोक्ताओं को, दी जा रही सेवाओं के बारे में पूछ ताछ करने / शिकायत दर्ज करने के विभिन्न साधनों और प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है । यह पुस्तिका जनता में बाँटने के लिए उपलब्ध है और इस विभाग की वैबसाईट पर भी अपलोड कर दी गई है ।

जातीय समानता के प्रोत्साहन के लिए मौजूदा तरीके और योजनाबद्द तरीकों के संबंध में पूछ ताछ करने के लिए, कृपया विभागीय शिकायत अफ़सर से संपर्क करें ।

कानूनी सहायता विभाग

जुलाई 2022